

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 मई 2026 — वैशाख 16, शक 1948

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/15790/2025-HEALTH SECTION-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक् द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची—दो के शीर्षक “ख—कार्यपालक” के सरल क्रमांक 4 के कॉलम (4) एवं (5) में, अंक “90%” एवं “10%” के स्थान पर, अंक “75%” एवं “25%” क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 मई 2026

क्रमांक ESTB/15790/2025-HEALTH SECTION-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-05-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 5th May 2026

NOTIFICATION

No. ESTB/15790/2025-HEALTH SECTION-2.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Food and Drugs Administration (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2011, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

In colum (4) and (5) of serial number 4 of heading B-Executive of Schedule-II, for the figure "90%" and "10%", the figure "75%" and "25%" shall be substituted, respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIA, Secretary.